

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमांक:-एफ.23()स्था/निकाशि/RVRES/2012/236

दिनांक:- 09-04-2012

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

सहायक निदेशक
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

विषय:- राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत कार्यग्रहण करने वाले शैक्षणिक कार्मिकों का सेवा रिकार्ड संधारण एवं वेतन भुगतान के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक 175 दिनांक 19.03.12 के द्वारा राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त शैक्षणिक कार्मिकों का सेवा रिकार्ड संधारण, अवकाश स्वीकृत करने एवं वेतन भुगतान के संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 30.3.12 तक सम्पादित करने के निर्देश प्रदान किये गये थे परन्तु अधिकांश महाविद्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभाग के परिपत्र की पालना में निर्धारित समयावधि में कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है इस सम्बन्ध में कुछ महाविद्यालयों द्वारा विभाग द्वारा दी गई समयावधि अपर्याप्त बताते हुये समयावधि बढ़ाने की मांग की गई है ।

अतः महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत मांग को ध्यान में रखते हुये विभागी परिपत्र के अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक **30.04.12** तक आवश्यक रूप से सम्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाती है । उपरोक्तानुसार अभिवृद्धि की गई अवधि के पश्चात भी निर्देशों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं किये जाने की स्थिति में कार्यालय प्रधान के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

(सुबीर कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर ।
4. संयुक्त निदेशक (अनुदान/प्रशासन/अकादमी/योजना)कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर 5. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर ।
6. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर ।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राज., जयपुर ।
8. समस्त शैक्षणिक कार्मिक RVRES
9. डॉ.धीरेन्द्र देवर्षि, बेबसाइट प्रभारी ।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर